रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052024-254307
CG-DL-E-22052024-254307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज्येष्ठ 1, 1946
No. 1977]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2024

का.आ. 2076(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा 'तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड, चेन्नई' (PAN AAALT0834F), जो तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड अधिनियम, 1970 (तमिलनाडु अधिनियम, 1971) के तहत गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

(क) रख-रखाव लागत की वसूली हेतु जल आपूर्ति के लिए जल प्रभार;

(ख) स्थापना प्रभार की क्षतिपूर्ति के लिए जल आपूर्ति योजना और सिवरेज योजना जैसे स्थानीय निकायों से प्राप्त सेंटेज प्रभार;

(ग) स्थापना प्रभार के लिए जल आपूर्ति और जल निकासी योजना के लिए जांच एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तैयारी प्रभार;

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड, चेन्नई -

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों क्रमश: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 के लिए संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 तथा 2028-2029 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 43/2024, फा. सं.300196/32/2024-आईटीए-I]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2024

S.O. 2076(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board, Chennai' (PAN: AAALT0834F), a Board constituted under the Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board Act, 1970 (Tamil Nadu Act of 1971), in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:-

(a) Water charges for supply of water to recover the maintenance cost;

(b) Centage charges received from local bodies work like water supply scheme and sewerage scheme to compensate for establishment charges;

(c) Investigation and Detailed Project Report preparation charges for water supply and drainage scheme for establishment charges;

(d) Interest earned on Bank Deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board, Chennai-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year(s); and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029 relevant for the financial years 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 respectively.

[Notification No. 43/2024, F. No.300196/32/2024-ITA-I]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA